

डॉटेड लैंड्स

प्रलिस के लयि:

डॉटेड लैंड्स, [स्वामतिव योजना \(SVAMITVA\)](#), [परविश पोर्टल \(PARIVESH\)](#) भूमिसंवाद (Bhumi Samvaad)

मेन्स के लयि :

भू-स्वामतिव वविदों से संबंघति मुददे और डॉटेड लैंड्स की अवधरण, भूमिअभलिखों के डजिटिलीकरण का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने नषिदिध सूची से "डॉटेड लैंड्स" को नरिगत करने के लयि एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है, जसिसे कसिनों को इन वविदति भूमिपर अपने पूर्ण अधकिार का प्रयोग करने की अनुमति प्रापत हुई है ।

- इस कदम का उद्देश्य स्वामतिव वविदों का समाधान करना और पात्र कसिनों को भू-स्वामतिव के स्पष्ट दस्तावेज़ प्रदान करना है ।

डॉटेड लैंड्स क्या है?

परचिय:

- डॉटेड लैंड्स ऐसे वविदति भूमि कषेत्र हैं जनिके कोई स्पष्ट भू-स्वामतिव दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं ।
 - आमतौर पर यह ऐसे वविदति भू कषेत्र जसि पर एक या एक से अधकि व्यक्तियों के साथ-साथ सरकार का राजस्व वविग भू-स्वामतिव का दावा करता है ।
- इन भूमि कषेत्रों को "डॉटेड लैंड्स" के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि बरिटिश काल के दौरान जब भू-स्वामतिव सर्वेक्षण और भूमिअभलिखों का आकलन कयिा गया था, तो स्थानीय राजस्व अधकिारियों को सरकारी स्वामतिव और नजिी स्वामतिव वाली भूमि की पहचान करने का काम सौंपा गया था । वे इन अस्पष्ट भू स्वामतिव के कषेत्रों, जनिमें एक से अधकि व्यक्ती स्वामतिव का दावा करते हैं या यद स्वामतिव स्पष्ट रूप से स्थापति नहीं कयिा जा सकता है, को दर्शाने के लयि दस्तावेज़ में स्वामतिव कॉलम में डॉट या बडि से इंगति करते थे ।

स्वामतिव वविद का कारण:

- स्वामतिव वविद सामान्यतः तब उत्पन्न होते हैं जब भू-स्वामी वसीयत के माध्यम से स्पष्ट वरिसत स्थापति करने में वफिल होते हैं या जब एक ही भूमिपर कई उत्तराधकिारी दावा करते हैं ।
- कुछ मामलों में सरकार भूमि को राज्ज के स्वामतिव के रूप में पहचानती है लेकनि उस पर नजिी पार्टियों द्वारा कब्ज़ा कर लयिा जाता है ।

डॉटेड लैंड के मुददे को हल करने हेतु सरकार की पहल:

- आंध्र प्रदेश सरकार ने 12 वर्षों से अधकि समय से डॉटेड लैंड पर खेती करने वाले कसिनों को भूमि अधकिार देने के लयि एक वधियक पेश कयिा ।
 - भूमि रजिस्ट्रों से बडिओं और प्रवषिटियों को हटाने से लगभग 97,000 कसिनों को स्पष्ट भूमि स्वामतिव दस्तावेज़ उपलब्ध होंगे ।
- भू-स्वामी/कसिन भूमि का उपयोग ऋण प्रापत करने के लयि संपार्श्वकि के रूप में कर सकते हैं, शहरी कषेत्रों में, डॉटेड लैंड को अवैध रूप से बेचा गया है और घरों का नरिमाण कयिा गया है, जसि पर कर नहीं लगाया जा सकता है । इसका उपयोग फसल एवं वतितीय सहायता के लयि आवेदन करने, भूमि बेचने या उन्हें परिवार के सदस्यों को उपहार में देने हेतु कर सकते हैं ।
- आंध्र प्रदेश सरकार की "जगन्नाथ शाश्वत भू हक्कू भूरकषा योजना" के माध्यम से इस भूमि का डजिटिल रकिॉर्ड तैयार कयिा जाएगा ताकि भवषिय में कोई भी रकिॉर्ड के साथ छेडछाड न कर सके ।
 - इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 2,000 गाँवों में कसिनों को 7,92,238 स्थायी शीर्षक वलिख प्रदान कयिे हैं ।

सरकार की कार्यवाही के पीछे तरक:

- लैंड सीलिंग के मुख्ज आयुक्त को डॉटेड लैंड वविदों को हल करने के लयि 1 लाख से अधकि आवेदन प्रापत हुए जो समाधान की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है ।
- शहरी कषेत्रों को अवैध बकिरी और डॉटेड लैंड पर नरिमाण से संबंघति मुददों का सामना करना पड़ा जसिके परिणामरूपसरकार को कर चोरी

तथा राजस्व की हानि का सामना करना पड़ा।

- 2,06,171 एकड़ का पंजीकरण मूल्य 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि भूमि का मूल्य 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

भूमि विवादों को कम करने हेतु डिजिटल भूमि अभिलेखों के लिये भारत में क्या पहलें हैं?

■ स्वामित्व:

- **स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय** की एक केंद्रीय कक्षेत्रक योजना है जो **डुरोन तकनीक** और **नरितर संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS)** का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले कक्षेत्रों में भूमि पारसल का मानचित्रण करती है।
- वर्ष 2020 से 2024 तक चार वर्षों की अवधि में देश भर में चरणबद्ध तरीके से मानचित्रण किया जाएगा।

■ परविश पोर्टल:

- **परविश** एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है जिससे केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं तटीय वनियमन कक्षेत्र (CRZ) की अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति तथा नगिरानी के लिये वकिसति किया गया है।

■ भूमि सिंवाव:

- **भूमि सिंवाव** डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला है।
- यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (ILIMS) वकिसति करने के लिये वभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों के कक्षेत्र में एकरूपता लाने का प्रयास करता है, जिसमें वभिन्न राज्य राज्य-वशिष्ट आवश्यकताओं, जो कि प्रासंगिक और उपयुक्त हों, को भी जोड़ा जा सकता है।

■ राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली:

- यह मौजूदा **मैनुअल पंजीकरण प्रणाली** से भूमि की बकिरी-खरीद और हस्तांतरण में सभी लेन-देन के ऑनलाइन पंजीकरण के लिये एक बड़ा बदलाव है।
- यह राष्ट्रीय एकता हेतु एक बड़ा कदम है और 'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर' की दशा में उठाया गया है।

■ अद्वितीय भूमि पारसल पहचान संख्या:

- "भूमि के लिये आधार" के रूप में वर्णित होने के नाते **वशिष्ट भूमि पारसल पहचान संख्या एक ऐसी संख्या है** जो भूमि के प्रत्येक सर्वेक्षण पारसल की वशिष्ट रूप से पहचान करेगी और भूमि धोखाधड़ी को रोकेगी, वशिष्ट रूप से ग्रामीण भारत के भीतरी इलाकों में जहाँ भूमि रिकॉर्ड पुराने हैं और अक्सर वविदित होते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में नमिनलखित कथनों में से कौन-सा सही है? (2019)

- हदबंदी कानून पारविरकि जोत पर केंद्रति थे, न क वियक्तगित जोत पर।
- भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था।
- इसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की खेती, कृषि का प्रमुख रूप बन गई।
- भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को कसि भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी।

उत्तर: (b)

प्रश्न. कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की वविचना कीजिये। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारकों को चहिनति कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2016)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)